झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं. 3850/2023

जगदीश रवानी, उम्र लगभग 46 वर्ष, पिता - मोहन रवानी, निवासी गांव - करमाटांड डाकघर - दामोदरपुर, थाना - बलियापुर, जिला - धनबाद ..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ..... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए : श्री लुकेश कुमार, एडवोकेट।

राज्य के लिए : श्री शिव शंकर कुमार, अतिरिक्त पीपी

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 452, 427, 341, 323, 307, 379 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज सिंदरी वाद सं.93।/2022 कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि 25.08.2022 को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच, याचिकाकर्ता ने लगभग एक हजार से अधिक व्यक्तियों के साथ, बंदूक, देशी रिवाल्वर, कुल्हाड़ी, तलवार, अन्य तेज काटने वाले हथियारों और लाठी जैसे घातक हथियारों से लैस मुखबिर के 'एल' प्रकार के कार्यालय में तोड़फोड़ की और दो लैपटॉप तोड़कर शरारत की, फ्रिज, एयर-कंडीशनर, कूलर, सोफा-सेट और अन्य वस्तुओं की चोरी की और 55,000/- रुपये की चोरी की और गैरकानूनी सभा में से, दो सदस्यों अर्थात् सीता राम महतो और संतोष चौधरी ने मुखबिर अमर कुमार सिंह और चार से पांच अन्य व्यक्तियों को मारने के लिए गोली चलाई, लेकिन वे बाल-बाल बच गए। आगे आरोप है कि याचिकाकर्ता ने सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया और उन पर हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। आगे आरोप है कि याचिकाकर्ता सहित गैरकानूनी सभा के सदस्य, मुखबिर के कार्यालय के पीछे स्थित आवासीय हिस्से की ओर आए और वहां रखे वाहनों में तोड़फोड़ की, जिससे नुकसान हुआ और 30,00,000/- से 35,00,000/- रुपये का नुकसान हुआ।

4 याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि स्व-घटना के लिए, पुलिस ने सबसे पहले बलियापुर वाद सं. 143/2022 और बाद में सिंदरी वाद सं. 92/2022 दर्ज किया और बिल्कुल वही घटना के लिए, तीसरा मामला सिंदरी वाद सं. 93/ 2022 स्थापित किया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सिंदरी वाद सं.93/2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से प्रभावित है। अपने मामले के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अमितभाई अनिलचंद्र शाह बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2013) 6 एससीसी 348, पैरा 38 और 39 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें से निम्नानुसार है: -

> *"38. XXXXXXXXXX तथ्य की बात के रूप में, कानून के पूर्वोक्त प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अस्वीकार्य और उल्लंघन*

करने वाला कानून बनाया गया है, इस न्यायालय के निम्नलिखित बाद के निर्णयों में दोहराया और पुन: पुष्टि की गई है: (1) उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश [(2004) 13 एससीसी 292: 2005 एससीसी (आपराधिक) 211], (2) बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य [(2010) 12 एससीसी 254: (2011) 1 एससीसी (आपराधिक) 336], (3) चिर्रा शिवराज बनाम गुजरात राज्य [(2010) 12 एससीसी 254: (2011) 1 एससीसी (आपराधिक) 336], (3) चिर्रा शिवराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [(2010) 12 एससीसी [(2010) 14 एससीसी 444: (2011) 3 एससीसी (आपराधिक) 757: एआईआर 2011 एससी 604], और (4) सी. मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य [(2010) 9 एससीसी 567: (2010) 3 एससीसी (आपराधिक) 1402] सी. मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य [(2010) 9 एससीसी 567: (2010) 3 एससीसी (आपराधिक) 1402] में इस न्यायालय ने "परिणाम परीक्षण" की व्याख्या की, अर्थात यदि दूसरी प्राथमिकी का हिस्सा बनने वाला अपराध पहली प्राथमिकी में कथित अपराध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है तो दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट द्वारा ढके गए अपराध समान हैं और, तदनुसार, दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कानून में स्वीकार्य नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल अपराधों को पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए।

39. इस मामले में, उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, सी. मुनियप्पन [(2010) 9 एससीसी 567: (2010) 3 एससीसी (आपराधिक) 1402] के साथ-साथ चिर्रा शिवराज [(2010) 14 एससीसी 444: (2011) 3 एससीसी (आपराधिक) 757: एआईआर 2011 एससी 604] , पूरी ताकत के साथ लागू होते हैं क्योंकि सीबीआई के अनुसार यह मामला है जहां: 39.1. यह बड़ी साजिश नवंबर 2005 में शुरू हुई और दिसंबर 2006 में तुलसीराम प्रजापति की फर्जी मुठभेड़ में समाप्त हुई।

39.2. तुलसीराम प्रजापति का कथित फर्जी एनकाउंटर सोहराबुद्दीन और कौसरबी की पहले की झूठी मुठभेड़ का परिणाम था क्योंकि

तुलसीराम प्रजापति सोहराबुद्दीन और कौसरबी के अपहरण और परिणामी हत्याओं का चश्मदीद गवाह था।

39.3. तुलसीराम प्रजापति को कथित तौर पर उसी साजिश के तहत आरोपी पुलिस अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया था, जब तक कि वह कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ में नहीं मारा गया था।"

इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील भी **बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य [(2010) 12 एससीसी 254**: के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं जिसका अनुच्छेद सं.21 इस प्रकार है;-

"21. ऐसे मामले में अदालत को दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट को जन्म देने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करनी होगी और समानता का परीक्षण यह पता लगाने के लिए लागू किया जाना है कि क्या दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ही घटना के संबंध में एक ही घटना से संबंधित हैं या उन घटनाओं के संबंध में हैं जो एक ही लेनदेन के दो या अधिक हिस्से हैं। यदि उत्तर हां में है तो दूसरी प्राथमिकी रद्द की जा सकती है। हालांकि, अगर दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट में बयान अलग है और वे दो अलग-अलग घटनाओं/अपराधों के संबंध में हैं, तो दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की अनुमति है। यदि एक ही घटना के संबंध में पहली प्राथमिकी में आरोपी एक अलग संस्करण या प्रतिदावे के साथ आगे आता है, तो दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट पर जांच की जानी चाहिए।"

5. इसके बाद याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि यदि "परिणाम परीक्षण", अर्थात, यदि दूसरी प्राथमिकी का हिस्सा बनने वाला अपराध पहली प्राथमिकी में कथित अपराध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है; यदि इस मामले के तथ्यों पर लागू किया जाता है, तो दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट द्वारा ढंके गए अपराध इस मामले में भी समान हैं। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट को दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जा सकता है क्योंकि यह याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कृत्यों से उत्पन्न हुआ है, जो सिंदरी वाद सं.93/2022 का आरोपी व्यक्ति था, पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित अपराध के परिणामस्वरूप बलियापुर वाद

सं.143/2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट है, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरी आपराधिक कार्यवाही साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सिंदरी वाद सं. 93/2022 को रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर लोक अभियोजक पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ-साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट सिंदरी वाद सं.93/2022 का विरोध करते हैं और आपराधिक विविध याचिका संख्या 1480/2023 की दिनांक 31.10.2023 में पारित **दीपू महतो @ दीपू महतो @ दीपक कुमार महतो** के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हैं, किया गया और प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय ने पहले ही माना है कि बलियापुर वाद सं.143/2022 की प्राथमिकी एक घटना के संबंध में दर्ज की गई है, जो 25.08.2022 को सुबह 11:45 बजे हुई थी, जिसमें धारा 147, 148, 149, 341, 323, भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 353, 504 और 506 जिसके अनुसार याचिकाकर्ता और सह-आरोपी व्यक्ति एक गैरकानूनी सभा के सदस्य थे और घातक हथियारों से लैस होने के कारण, विधानसभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में, गैरकानूनी सभा के सदस्यों ने बलियापुर पुलिस स्टेशन के गश्ती दल के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ हाथापाई की और उन्हें आपराधिक बल का उपयोग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से भी रोका और सहायक उपनिरीक्षक होने के नाते बलियापुर पुलिस स्टेशन के मुखबिर की वर्दी फाड़ दी । यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि लगाए गए आरोप और सिंदरी वाद सं.92/2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एक घटना से संबंधित अपराध के लिए दर्ज की गई है, जो 25.08.2022 को हुआ, जब सिंदरी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक-सह-प्रभारी अधिकारी को सूचना मिली कि मामले के आरोपी व्यक्तियों द्वारा एक गैरकानूनी जमावड़ा बनाया गया है, घातक हथियारों से लैस होने के कारण, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने लगभग 1.30 बजे गैरकानूनी सभा के सदस्यों को रोका, जहां, जो पुलिस कर्मियों को मारने के लिए निकले थे; जो लखी सिंह की रक्षा कर रहे थे।

7. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में सामग्री को देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि बलियापुर वाद सं.143/2022 25.08.2022 को सुबह 11:45 बजे हुई एक घटना के संबंध में दर्ज किया गया है, सिंदरी वाद सं.92/2022 एक घटना के लिए स्थापित किया गया है जो 25.08.2022 को दोपहर 1.30 बजे हुई थी और इस मामले की घटना सिंदरी वाद सं. 93/2022 दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच उक्त मामले के मुखबिर अमर कुमार सिंह के कार्यालय में हुआ है। पैसे की चोरी करने और मुखबिर और अन्य व्यक्ति पर गोली चलाकर उनकी हत्या करने का प्रयास करने का आरोप, अन्य दो प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाया गया आरोप नहीं है, जो सिंदरी वाद सं.92/2022 के बलियापुर वाद सं.143/2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट है।

8. इस न्यायालय का विचार है कि घटना के समय, घटना के तरीके और तीन मामलों में शामिल अपराध, यानी यह मामला सिंदरी वाद सं.93/2022 है, वह मामला जो सिंदरी वाद सं.92/2022 के रूप में दर्ज किया गया है और वह मामला जो बलियापुर वाद सं.143/2022 के रूप में दर्ज किया गया है, पूरी तरह से अलग-अलग घटनाओं के लिए दर्ज किया गया है, कल्पना के किसी भी खिंचाव से, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने अन्य दो घटनाओं के परिणामस्वरूप सिंदरी वाद सं.93/2022 के मुखबिर को बर्बरता, चोरी की और हत्या का प्रयास किया, यहां तक कि मामले के तथ्यों को परिणाम परीक्षण के लिए रखकर भी, जैसा कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **2010 9 एससीसी 567** में रिपोर्ट किए गए **सी मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य** के मामले में स्पष्ट किया गया है। इसलिए, इस अदालत की सुविचारित राय में चूंकि घटना का स्थान, घटना का समय, तीनों घटनाओं के घटित होने का तरीका पूरी तरह से अलग है, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां सिंदरी वाद सं.93 / 2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 147, 148, 149, 452 के तहत दर्ज की गई हो। भारतीय दंड

संहिता की धारा 427, 341, 323, 307, 379 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज मामलों को रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

9. तदनुसार, यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
8 जनवरी, 2024 को दिनांकित किया
स्मिता/ए. एफ. आर.

यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।